## भारतीय संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए

# ग्रामसभा की शक्तियां

**पंचायत उपबन्ध ( अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार ) अधिनियम, 1996 भारत में 24 दिसम्बर, 1996 से प्रभावी और राजस्थान में 26 जून, 1999 से लागू**

### सर्वशक्ति सम्पन्नता

**ग्राम सभा जन साधारण की परम्परा और रीति रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान, समुदाय सम्पदा और विवाद निपटाने की परंपरागत रीतियों के संरक्षण और उनको बनाये रखने के लिए सक्षम होगी।**

### कुछ खास प्रावधान

1. सामाजिक प्रावधान:

   ग्रामसभा शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा सकती है या नियम बना सकती है।

2. जमीन की रक्षा:

   ग्रामसभा सार्वजनिक व निजी जमीन के गैर कानुनी कब्जों को रोक सकती है।और गैर कानूनी ढंग से खोई हुई जमीन वापस ले सकती है।

3. भू-अधिग्रहण:

   पंचायत की सार्वजनिक व निजी जमीन को अधिग्रहित करने से पहले ग्रामसभा में सलाह लेना अनिवार्य है।

4. लघु वनउपज :

   क्षेत्र में होने वाली लघु वन उपज का मालिकाना हक ग्रामसभा का होगा।

5. जल के साधन:

   पंचायत क्षेत्र छोटे जल संसाधन जैसे- नाला, तलाब, ऐनीकट का अयोजन और प्रबंध ग्रामसभा के अंतर्गत होगा।

6. गौण खनिज :

   अ ) क्षेत्र में होने वाले गौण खनिज सर्वे करने की अनुमति ग्रामसभा से लेनी होगी।

   ब ) बाहर निकालने के पट्टे की सिफारिश ग्रामसभा करेगी।

   स ) नीलामी से लेकर खनन के मामलों में रियायत देने के पहले सिफरिश का अधिकार ग्रामसभा को होगा।

7. गाँव का बाजार:

   पंचायत क्षेत्र के गांव बाजार के प्रबंध का अधिकार ग्रामसभा का होगा।

8. कर्ज का लेन-देन:

   आदिवासियों से कर्ज के लेन-देन पर भी ग्रामसभा अपना नियंत्रण रखेगी।

9. विकास:

   अ ) विकास से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए ग्रामसभा की सहमति जरुरी होगी।

   ब ) ग्रामसभा को विकास की योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान और चुनने का पुरा अधिकार होगा।

   स ) विस्थापितों को बसाने के पहले ग्रामसभा से सलाह लेना जरुरी होगा।

10. वित्तीय:

    अ ) गांव की स्थानीय योजनाओ के लिए जाने वाली सभी राशि पर ग्रामसभा का नियंत्रण होगा।

    ब ) गांव में जो भी खर्चा किया जावेगा उसका प्रभाण पत्र ग्रामसभा को देना होगा।

11. संस्था और कार्यकर्ता:

    सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे सेक्टरों पर भी ग्रामसभा का

नियंत्रण होगा।

**नोट:**

1. राज्य को इस व्यवस्था से असंगत कानुन बनाने का अधिकार नहीं है। सभी राज्यों को इसकी भावना के अनुरुप कानुन बनाना है। पर ग्रामसभा को अपना कामकाज शुरु करने के लिए उनका इंतजार करना जरुरी नहीं है।

2. गांव समाज ही अब संविधान में ग्रामसभा के रुप में प्रतिष्ठित है। गांव समाज उर्फ ग्रामसभा स्वयंभू है।

,3. ग्रामसभा ही गांव गणराज्य की सर्वशक्ति सम्पन्न 'संसद' है। उसका कानुन में खास प्रावधानों में से किसी भी एक या अधिक बिन्दुओं पर अमल करके शुरु किया जा सकता है।

मुद्रक : फाईन आर्ट प्रिन्टर्स, जाटवाड़ी, उदय. फो.: 0294-2411406, 94602 64241

# ग्रामसभा की शक्तियां

**राजस्थान वन उपज संग्राहक एवं प्रशोधक समूह समर्थक समिति**

282, पुराना चुंगीनाका, फतेहपुरा, उदयपुर ( राज. )

फोन एवं फैक्स : 0294-2451478

email: samarthak@sancharnet.in

Website: www.samarathak.org